रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092022-238765
CG-DL-E-13092022-238765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 2022/भाद्र 21, 1944
No. 444] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 2022/BHADRA 21, 1944

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितंबर, 2022

(2022 की सं 4)

फा. सं. ए-12015/01/2022-एचआर/सीसीआई.—भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 17 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 64 की उप धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और वृत्तिकों के नियोजन के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2009 में निम्नलिखित और संसोधन करता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और वृत्तिकों के नियोजन के लिए प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2022 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और वृत्तिकों के नियोजन के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है)[1] में:-

(I) विनियमन 6 की अनुसूची III[2] में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

विशेषज्ञ और युवा वृत्तिक का ग्रेड	**एकमुश्त मासिक परिश्रमिक**	**विज्ञापन की तारीख को आयु सीमा**
युवा वृत्तिक - I	60,000 रुपये नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	तीस वर्ष तक

युवा वृत्तिक - II	80,000 रुपये नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	पैंतीस वर्ष तक
विशेषज्ञ - I	1,05,000 रुपये नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	--
विशेषज्ञ - II	1,30,000 रुपये नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	--
विशेषज्ञ - III	1,55,000 रुपये नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	--

ज्योति जिंदगर भनोट, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./264/2022-23]

[1] मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 15 मई, 2009 में अधिसूचना सं. आर-40007/6/संब.-विशेषज्ञ/अधि./04/सीसीआई तारीख 15.05.2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

[2] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 12 अप्रैल, 2022 में अधिसूचना सं. ए-12015/01/2022-एचआर/सीसीआई, तारीख 12.04.2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2022

(No. 4 of 2022)

F. No. A-12015/01/2022-HR/CCI.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 64, read with sub-section (3) of Section 17 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) the Competition Commission of India hereby makes the following regulations to amend the Competition Commission of India (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Regulations, 2009, namely:-

1. **Short title and commencement –**

(1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the principal regulations)[1]:-

(I) In schedule III[2] of regulation 6, the following shall be substituted, namely:-

Grade of Expert & Young Professional	Lump-sum monthly remuneration	Age Limit as on the date of advertisement
Young Professional -I	₹ 60,000 with 10% increase on completion of each year	Up to 30 Years
Young Professional -II	₹ 80,000 with 10% increase on completion of each year	Up to 35 Years
Expert - I	₹ 1,05,000 with 10%increase on completion of each year	--
Expert - II	₹ 1,30,000 with 10% increase on completion of each year	--
Expert - III	₹ 1,55,000 with 10% increase on completion of each year	--

JYOTI JINDGAR BHANOT, Secy. (I/C)

[ADVT.-III/4/Exty./264/2022-23]

[1] The Principal Regulations were published vide Notification No R-40007/ 6/Reg-Expert/Noti/04-CCI dated 15.05.2009 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, Dated 15th May, 2009.

[2] Amended vide Notification No A-12015/01/2022-HR/CCI dated 12.04.2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, Dated 12th April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.09.13 19:40:08 +05'30'